

प्रेस नोट –

थाना बरुआसागर

दिनांक- 22.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध, अपराधियों एवं अवैध शराब के विरुद्ध जनपद झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में दिनांक 22.01.2025 थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त 1.रीता पत्नी चन्द्रभान कबूतरा उम्र 35 वर्ष नि० लक्ष्मनपुरा कबूतरा डेरा थाना बरुआसागर जिला झाँसी, 2.पूजा पत्नी भूपेन्द्र कबूतरा उम्र 32 वर्ष नि० ग्राम लक्ष्मनपुरा कबूतरा डेरा थाना बरुआसागर जिला झाँसी को 10-10 ली० अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर थाना बरुआसागर पर 15/2025 धारा धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का पंजीकृत किया गया।

मु०अ०सं० –

मु०अ०सं०-15/25 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम

नाम व पता अभियुक्त –

- 1.रीता पत्नी चन्द्रभान कबूतरा उम्र 35 वर्ष नि० लक्ष्मनपुरा कबूतरा डेरा थाना बरुआसागर जिला झाँसी,
- 2.पूजा पत्नी भूपेन्द्र कबूतरा उम्र 32 वर्ष नि० ग्राम लक्ष्मनपुरा कबूतरा डेरा थाना बरुआसागर, झाँसी

बरामदगी – कुल 20 ली० अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तारी का स्थान – लक्ष्मणपुरा कबूतरा डेरा मन्दिर के पास थाना बरुआसागर

कार्यवाही करने वाली टीम के अधि०/कर्म गण का नाम-

- 1.SO श्री शिवजीत सिंह थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 2.आब०निरी० श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव आबकारी प्रवर्तन क्षेत्र-1 झाँसी।
- 3.उ०नि० श्री अनिल कुमार थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 4.म०हे०का० 285 संगीता रजौतिया थाना बरुआसागर जिला झाँसी।
- 5.हे०का० सूर्यप्रकाश शुक्ला आबकारी प्रवर्तन क्षेत्र—1 झाँसी।
- 6.हे०का० गिरीश कुमार आबकारी प्रवर्तन क्षेत्र—1 झाँसी।
- 7.हे०का० नत्थू प्रसाद आबकारी प्रवर्तन क्षेत्र—1 झाँसी।
- 8.का० नाजिब अली आबकारी प्रवर्तन क्षेत्र—1 झाँसी।

